

1202553
17-06-2013

132

राजस्थान न्यायालय
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर कम्प्यूटर-7
न्याय विभाग
जयपुर

1024/AS
17-6-16

CE&AS
17/6

माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अतिरिक्त महाअधिवक्ताओं के कार्य निष्पादन के संबंध में मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये हैं। उक्त निर्देशों की पालना में उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर बेंच से संबंधित न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त अतिरिक्त महाअधिवक्ताओं के मूल्यांकन हेतु प्रारूप (F-1) में निम्न तीन अतिरिक्त सूचनाओं को समाविष्ट किया गया है :-

1. Date of submission of case for filling by Deptt. to AG/AAG.
2. Date of filling case in court by AG/AAG.
3. Whether application under sec. 5 of limitation Act filed.

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त रूप से उल्लिखित तीनों बिंदुओं की सूचना का प्रारूप (F-1) में सात दिवस में इन्द्राज करवाने का श्रम करें। उक्त सूचना दिसम्बर 2013 से आदिनांक तक अंकित की जानी है। इससे सम्बन्धित रिपोर्ट को लाइट्स सॉफ्टवेयर में Detail Reports->AG/AAG performance लिंक पर देखा जा सकता है।

शासन संयुक्त सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव /
प्रमुख शासन सचिव /
शासन सचिव

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अतिरिक्त पी.एफ.डी.एस. / पी.एस.जे. / कम्प्यूटर / 3 / 06
जयपुर, दिनांक:- 14-6-16

S220
21/6

CE&AS
17/6

AS
17/6

कार्यालय मुख्य अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

एफ9 (8) विधिक/सानि/अस/अनु0 7/डी-1484

दिनांक : 29/01/16

1. अति0 मुख्य अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
संभाग-समस्त।
2. अधीक्षण अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
वृत्त-समस्त।

विषय :- अति0 महाधिवक्ताओं के कार्य निष्पादन के संबंध में।

संदर्भ :- न्याय विभाग के पत्रांक आशा0 टीप एफडीएस/पीएसजे/
कम्प्यूटर/03/06 दिनांक 14.06.2016 एवं प0 6(1) मासिक/
न्याय/2016 दिनांक 04.08.2016 के क्रम में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के क्रम में लेख है कि मा0 मुख्यमंत्री महोदय ने अति0 महाधिवक्ताओं के कार्य निष्पादन के संबंध में मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उक्त निर्देशों की पालना में उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर बेंच से संबंधित न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त अति0 महाधिवक्ताओं के मूल्यांकन लाईट्स वेबसाइट पर प्रारूप एफ-1 में निम्नलिखित सूचनाओं का समाविष्ट किया गया है :-

1. Date of submission of case for filling by deptt., to AG/AAG.
2. Date of filling case in court by AG/AAG.
3. Whether application under Sec-5 of Limitation Act filed.

उक्त तीनों बिन्दुओं की सूचना का अपडेशन एफ-1 में दिसम्बर 2013 से आज तक किया जाना है। अतः जिन प्रकरणों में महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्ता नियुक्त है उनसे संबंधित सूचना लाईट्स वेबसाइट पर तीन दिवस में अपडेट कराकर इस कार्यालय को अवगत करावे, ताकि न्याय विभाग को सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

भवदीया


संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य अभियंता एवं अति0 सचिव, सानिवि, राज0 जयपुर।
2. राज्य नोडल अधिकारी एवं अति0 मुख्य अभियंता (प्रशासन), सानिवि, राज0 जयपुर।

संयुक्त विधि परामर्शी